भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 543
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में योजनाएं

543. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध सभी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त योजनाएं निजी उद्यमियों/सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चल रही योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन देना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) एवं (ग): मंत्रालय पश्चिम बंगाल के सभी जिलों सहित देश भर में विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) / कार्यान्वयन एजेंसियां / संगठन जैसे सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / संयुक्त उद्यम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) / निजी क्षेत्र की कंपनियां / साझेदारी फर्म / स्वामित्व वाली फर्म / व्यक्ति आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का चयन संबंधित योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पूर्वनिर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जो मंत्रालय की वेबसाइट (www.mofpi.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 31 दिसंबर , 2024 तक पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 1 मेगा फूड पार्क, 15 शीत श्रृंखला परियोजनाओं, 18 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, 1 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पश्चिम बंगाल राज्य में 31 दिसंबर, 2024 तक पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 90 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है ।

अब तक पश्चिम बंगाल राज्य में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 9 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 06 फरवरी 2014 को उत्तर देने हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 543 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ(अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी ; तथा एकल फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 15 करोड़ होगी; और एकल फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता।

6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 70% की दर से अनुदान।

<u>पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का</u>

<u>विवरण</u>

(i) *वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजीके लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****